रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2016/भाद्र 23, 1938
No. 646] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2016/BHADRA 23, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2016

सा.का.नि. 884(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (लेखाओं का वार्षिक विवरण के प्ररूप) नियम, 2016 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उनके अधिनियम में हैं।

3. **उचित लेखाओं और अभिलेखों का रख-रखाव.—** (1) संस्थान अपने लेखाओं और अभिलेखों का वित्तीय विवरण इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में रखेगा।

(2) संस्थान, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके वित्तीय विवरण रखने में केन्द्रीय सरकार के सामान्य निदेशों का पालन करेगा।

4. **संस्थान के लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार और सुपुर्द करना.—** (1) संस्थान अपने लेखाओं का वार्षिक विवरण और तुलनपत्र वित्तीय परिणाम दर्शित करते हुए इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' के अनुसार तैयार करेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष, अपश्चात् 31 जुलाई, संस्थान के वार्षिक लेखाओं का विवरण और तुलनपत्र निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित और शासी परिषद् द्वारा पारित भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) निदेशक द्वारा उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुगामी वर्ष के 30 सितंबर तक प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(4) लेखाओं के बहीखाते दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर रखे जाएंगे।

5. **केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोषों का अलग बही खाता.—**केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोष के लिए संस्थान अलग बही खाता रखेगा और संस्थान ऐसे अनुदान उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए लेखाओं का बही खाता रखेगा।

प्ररूप 'क'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तुलनपत्र, 31 मार्च ________________की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	31.03._______	31.03._______
पूंजी निधि और दायित्व पूंजीगत मूल्यह्रास निधि: निर्धारित धनराशि: अनुदान और अभिदान: नए एनआईडी के लिए अनुदान वर्तमान दायित्व:	 1. 6. 2. 3. 4. 5.		
कुल		0	0
संपत्ति अचल संपत्ति: (कीमत पर) निवेश: (कीमत पर) वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि .: आय और व्यय खाता	 6. 7. 8. 9.		
कुल		0	0

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां 17

स्थान:
तारीख:

निदेशक

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31 मार्च को समाप्त के लिए व्यय लेखा _________

(रकम रुपए में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय फीस: सेवा प्रभार: अनुदान: अर्जित ब्याज: अन्य आय: पूंजीगत निधि से स्थानांतरित मूल्यह्रास की ह्द तक:	 10. 11. 12. 13. 1.		
कुल (क)		0	0
व्यय स्थापन व्यय: अन्य प्रशासनिक व्यय: परियोजनाओं पर खर्च: ब्याज / बैंक प्रभार: मूल्यह्रास: (संदर्भ टिप्पण संख्या 1ड.) विनिर्दिष्ट निधियों को अंतरित रकम:	 14. 15. 11. 6. 16.		
कुल (ख)		0	0
घाटा होने के कारण तुलनपत्र को अग्रनीत (क-ख)	9.		

लेखा के भाग रूप में टिप्पणियां -17

स्थान: ____________

तारीख: ____________

निदेशक

अनुसूची 1

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

पूंजीगत निधि

ब्यौरे	31.03._______	31.03._______
	रूपए	रूपए
क. पूंजीगत निधि 1-4 ------को अतिशेष		
क. जोड़ें: 1) अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थानांतरित अनुदान राशि खाता		
ii) निर्माण खाते के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए विनियोग निधि से स्थानांतरित राशि		
iii) अनावर्ती व्यय के लिए अनुदान से अधिक की लागत से अधिक के कारण आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित राशि।		
ख. कम: संपत्ति पर मूल्यह्रास के विस्तार तक आय और व्यय लेखा में स्थानांतरित पूंजीगत निधियों से अर्जित	0	0
ग. कम: वर्ष के दौरान विक्रीत/त्यकत मशीनरी, उपस्कर और फर्नीचर के मूल्य का समायोजन		
उप-कुल (क)	0	0
• आरक्षित भूमि 1-4 -----------को अतिशेष		
कुल (क + ख)	0	0

निदेशक

अनुसूची 2

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निर्धारित निधियां

क्रम संख्या	निधियों का नाम	तारीख 01.04…. को आरंभिक अतिशेष	जमा किया गया ब्याज	अन्य जमा	विकलित रकम	संदर्भ टिप्पण	तारीख 31.03----- को अंतिम अतिशेष
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	कुल योग	0	0	0	0	0	0
	पिछला वर्ष						

निदेशक

अनुसूची - 3

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय

क्रम संख्या	लेखा नाम	तारीख 01.04 …. को आरंभिक अतिशेष	जमा किया गया अनुदान	विकलित रकम			संदर्भ टिप्पण	31.03--- को अंतिम अतिशेष
				अनावर्ती व्यय	आय और व्यय लेखा को अंतरित	अन्य विकलित		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए		रूपए
	कुल	0	0	0	0	0		0
	पूर्ववर्ती वर्ष							

निदेशक

अनुसूची – 4

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

नए एनआईडी के लिए अनुदान

क्रम संख्या	लेखा का नाम	31.03--- तक जमा अनुदान	31.03--- तक उपयोग किए गए अनुदान	01.04-- तक आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान जमा अनुदान	कुल	विकलित रकम			31.03- को अंतिम अतिशेष
							अनावर्ती व्यय	विनिर्माण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी/ एनबीसीसीको अंतरित	अन्य विकलित	
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
	राष्ट्रीय डिजाइन नीति के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुदान योजना (अनावर्ती): नए एनआईडी परिसर स्थापित करना									
1.	जोरहाट									
2.	हैदराबाद									
3.	भोपाल									
4.	कुरुक्षेत्र									
5.	विजयवाड़ा और अन्य परिसर									
	कुल									
	पूर्ववर्ती वर्ष									

निदेशक

अनुसूची-5

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान दायित्व

ब्यौरे	31.03.______	31.03.______
	रूपए	रूपए
1. व्ययों के लिए		
2. किराया और अन्य जमाओं के लिए		
.3 विविध जमा अतिशेष के लिए		
4. जारी परियोजनाओं के लिए अग्रिम		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-6

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

क्रम संख्या	ब्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
		01.04__ को	जोड़	बिक्रय / समायोजन	31.03_ को	01.04_ को	वर्ष के लिए	बिक्रय / समायोजन	31.03_ को	31.03_को	31.03 _को
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
क.	स्थावर सम्पत्तियां										
1.	(I) भूमि										
	1 का उप कुल										
2.	एनआईडी परिसर के भवन										
	(1 + 2) का उप-कुल										
ख.	चल संपत्तियां										
1.	मशीनरी, उपस्कर और औजार										
2.	फर्नीचर और फिक्सचर										
3.	कंप्यूटर और पैरीफैरल्स										
4.	स्टाफ पूल यान										
5.	पुस्तकालय पुस्तकें										
	ख के उप कुल										
ग.	जारी पूंजीगत कार्य										
	ग के उप कुल										
	कुल योग										
	पूर्ववर्ती वर्ष										

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

स्थिर आस्तियां

निदेशक

अनुसूची-7

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

निवेश (लागत पर)

ब्यौरे	31.03.___	31.03.____
दीर्घकालिक	रूपए	रूपए
बांड्स के साथ स्थिर जमा		
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची -8

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

ब्यौरे	31.03.____	31.03.____
	रूपए	रूपए
क. वर्तमान आस्तियां: i) संपत्ति सूची: सिविल और पूंजीगत माल (लागत पर)		
ii) नकद अतिशेष		
iii) बैंक अतिशेष क) चालू खाते के साथ		
उप-कुल (क)		
ख) बचत खाते में		
उप-कुल (ख)		
उप-कुल (क) + (ख)		
ग) कॉल / सावधि जमा खाते में		
उप-कुल (ग)		
उप कुल - III (क + ख + ग)		
कुल (I + II + III)		

अनुसूची -8
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि ...

ब्यौरे	31.03.___	31.03.___
	रूपए	रूपए
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां i. ऋण: क. प्रतिभूत		
(क) का उप-कुल		
ख. अप्रतिभूत		
उप-कुल (i)		
ii. अग्रिम:		
उप-कुल (ii)		
उप-कुल (III)		
ख के कुल (I + II + III)		
क + ख का कुल		

अनुसूची-9
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आय और व्यय लेखा

ब्यौरे	31.03.___	31.03.___
	रूपए	रूपए
01.04 -----को अतिशेष		
कम: एनआईडी के स्वयं के आय का ब्यौरा		
जोड़ें: चालू वर्ष के घाटे (आवर्ती योजना)		
कम: मौजूदा वर्ष के अधिशेष (गैर-योजना आवर्ती)		
घाटे के बाद का अतिशेष		

निदेशक

अनुसूची-10
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

फीस

ब्यौरे	20___-_____	20___-_____
	रूपए	रूपए
कुल		

निदेशक

अनुसूची-11
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान
तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

परियोजना से आय प्राप्ति / अनुदान (गैर योजना) और परियोजनाओं से व्यय (गैर योजना) 20 ___- 20____

	20___-20____		20___-20____	
ब्यौरे	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां	परियोजना व्यय	परियोजना प्राप्तियां
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
कुल				

निदेशक

अनुसूची-12
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अनुदान और अभिदाय से अंतरण

ब्यौरे	20____-_____	20____-_____
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-13
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

अर्जित ब्याज

ब्यौरे	20__-__	20__-__
(सीधे निर्धारित धनराशि में जमा के अतिरिक्त)	रूपए	रूपए
क) सावधिक जमा पर		
उप-कुल (क)	0	0
ख) बचत/चालू खाता पर		
ग) ऋणों पर		
उप-कुल (सी)	0	0
क + ख + ग के कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-14

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

स्थापन खर्च

					20__-__	20__-__
ब्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. वेतन, मजदूरी और भत्ते						
2. भविष्य निधि अंशदान						
3 अंशदान योगदान						
4. मेडिकल प्रतिपूर्ति और कर्मचारिवृंद कल्याण						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-15
[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद
संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

अन्य प्रशासनिक खर्च

					20__-___	20__-___
ब्यौरे	गैर-योजना आवर्ती खर्च	योजना आवर्ती खर्च			कुल	गैर-योजना और योजना के आवर्ती खर्च का कुल
		अनुसंधान एवं विकास	अन्य	कुल		
		रूपए	रूपए	रूपए	रूपए	रूपए
1. यात्रा खर्च						
2. टेलीफोन, टेलेक्स, डाक						
.3 बिजली खर्च						
4. रखरखाव: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स						
5. वाहन रखरखाव और ऑपरेशन शुल्क						
6. सामग्री, आपूर्ति उपभोग्य आदि						
7. सैटेलाइट केन्द्रों के लिए साधारण खर्चे						
8. विज्ञापन एवं प्रचार व्यय						
9. कल्याण, परिसर में आयोजित इवेंट और अन्य व्यय						
10. पुस्तकालय, पत्रिकाओं, आवधिक, सदस्यता आदि						
11. छात्र फ्रीशिप एवं विकास						
12. शिक्षक, कर्मचारियों मानव संसाधन विकास, अन्य विविध व्यय						
13. दरें, कर, उपकर						
14. मरम्मत और रख रखाव						
15. बीमा						
16. विधिक खर्च और व्यावसायिक फीस						
17. लेखा परीक्षा फीस						
कुल	0	0	0	0	0	0

निदेशक

अनुसूची-16

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

तारीख 31 मार्च, ...को तुलनपत्र के भागरूप में अनुसूची

आरक्षित या विशिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि

ब्यौरे	20__-__	20__-__
	रूपए	रूपए
कुल	0	0

निदेशक

अनुसूची-17

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद

संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान

31 मार्च को समाप्तवर्ष के लिए तुलनपत्र और आय और व्यय खाता अनुसूची _______

लेखा के भागरूप में टिप्पण

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

(क) लेखा कन्वेंशन:

वित्तीय कथन, ऐतिहासिक लागत कंवेंशन के आधार पर तैयार किए गए हैं, जब तक अन्यथा कही गई हो और ब्याज आय और विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी के प्रति दायित्व के अलावा उपार्जन पद्धति पर लेखांकन की गई है।

(ख) विनिधान:

(ग) लंबी अवधि के विनिधान लागत पर कथन की गई है।

स्थावर संपत्तियां:

स्थावर संपत्तियां लागत से कथन की गई है। लागत में चालान मूल्य, माल ढुलाई, चुंगी, और अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक व्यय भी शामिल है।

(घ) सरकारी अनुदान:

(i) सरकारी अनुदान सरकारी विभाग से मंजूरी के आधार पर लेखांकित है।

(ii) पूंजीगत व्यय की ओर उपयोग करने के लिए सरकारी अनुदान, पूंजी निधि के लिए स्थानांतरित किए गए हैं।

(iii) राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुदान व्यय की सीमा तक खर्च करने के लिए वर्ष की आय के रूप में माना जाता है।

(iv) उपयोग किए गए अनुदान आगे अग्रेषित होता है और तुलनपत्र में एक ऋण के रूप में प्रदर्शित होता है.

(ड.) विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर आधारित होता है। बैंक बैलेंस विदेशी मुद्रा में धारित आरबीआई दर पर वित्तीय वर्ष के समापन के दिन प्रचलित दर से रुपया में बदल जाती है।

(च) चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम में कम से कम तुलनपत्र में दिखाया कुल रकम के बराबर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम एक मूल्य है।

(छ) आय-कर:

संस्थान की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त है। आय-कर के लिए कोई उपबंध इसलिए खातों में नहीं दिया गया है।

(ज) सेवानिवृत्ति / टर्मिनल लाभ

कर्मचारियों के लिए टर्मिनल छुट्टी नकदीकरण लाभ नकदी के आधार पर आधारित है। ग्रेच्युटी आधार बीमांकिक मूल्यांकन पर आय एवं व्यय ए / सी के लिए शुल्क लिया जाता है और एक ही एनआईडी कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि में योगदान देता है।

2. आकस्मिक देयताएं रुपए __________ (पिछले वर्ष रुपए _____________)

3. पूंजी खाते पर शेष अनुबंध की अनुमानित राशि निष्पादित की जाती है और रुपये के लिए प्रदान नहीं गई है. ___________ पिछले वर्ष रुपए _______________)

4. वर्ष के लिए घाटा _____________ रुपए के लिए. वर्ष के लिए_________________ _____________ रुपए_______________) विविध खर्चों में डेबिट कर दिया गया है, क्योंकि उसी वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट सरकार अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई है.

5. पिछले वर्ष के लिए इसी आंकड़े को फिर से पुन:समूहबद्ध / पुन: व्यवस्थित कर दिया गया है, जहां कहीं आवश्यक है।

6. अंतिम खातों में आंकड़े निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

स्थान: ___________________

तारीख:

[फा. सं. 5/11/2016-आईपीआर-V]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव